

सुमाहरणालय, मधेपुरा

(उत्पाद विभाग)

फारम-127

बिक्री अधिसूचना
वर्ष 2015-16

बिक्री अधिसूचना

वित्तीय वर्ष 2015-16 (1ली अप्रिल 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती दिनांक 13/03/15 को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10:00 बजे दिन से (स्थान) ग्रेचपुरा जमाहरनाम में लौटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बंदोबस्त की जायेगी।

2. लौटरी द्वारा दुकानों की बंदोबस्ती निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी और इन सभी शर्तों से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बंदोबस्ती में भाग ले सकता है।

3. लौटरी द्वारा बंदोबस्त होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बंदोबस्ती की जायेगी।

4. (क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लौटरी प्रणाली द्वारा दल रूप से दुकानवार बंदोबस्त किया जाएगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बंदोबस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर वर्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लौटरी द्वारा बंदोबस्त किया जाएगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जाएगा जिसमें, लामकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकानें भी रहेंगी।

दुकानों के प्रत्येक समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के लिए तीन व्यक्तियों का नाम लौटरी द्वारा निकाला जाएगा। लौटरी द्वारा निकाले गए प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बंदोबस्ती की जाएगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बंदोबस्त नहीं हो सके या बंदोबस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञप्ति विखंडित हो जाती है तो उक्त समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के दुकान के लिए चयनित दूसरे लौटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरांत तीसरे लौटरी विजेता के साथ बंदोबस्ती की जाएगी।

यदि लौटरी विजेता दुकान/दुकानों के समूह की बंदोबस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बंदोबस्ती लेने से निरहित हो जाएगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोबस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोबस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अभ्यर्थियों के बीच ही लौटरी द्वारा बंदोबस्ती की कारवाई की जायेगी।

5. इस विक्री अधिसूचना में वर्णित शर्तें अनुज्ञप्ति की भी शर्तें मानी जायेंगी। विक्री अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि समाहर्ता के कार्यालय/विभाग के वेबसाइट www.excise-bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

6. (क) लौटरी द्वारा बंदोवस्त खुदरा दुकानों की अनुज्ञप्ति 1ली अप्रिल, 2015 से प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2016 तक के लिए प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञप्ति की बंदोवस्ती अगर वर्ष 2015-16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से की जाती है तब भी बंदोवस्ती की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक के लिए ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्ती वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित-बंधन एवं शर्तों पर की जा सकती है, परंतु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

7. (क) लौटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदक) को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान-प्रमाण (आईडेंटिटी प्रूफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिए फोटो युक्त पहचान-पत्र जैसे मतदाता परिचय-पत्र, पासपोर्ट, आयकर-स्थायी खाता संख्या, एवं ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटो युक्त पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी सशस्त्र कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, जल/टेलीफोन/विजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लौटरी प्रणाली द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें, भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें तथा कंपोजिट शराब की दुकानों की बंदोवस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकता है, परन्तु सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों के लिए आवेदन देगा जिसपर विभाग द्वारा निर्धारित अलग-अलग आवेदन शुल्क (प्रोरोसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटाई नहीं जाएगी। परन्तु अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ख). लौटरी द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणियों में विभक्त कर सथा-हाई पोटेंसियल जोन एवं लो पोटेंसियल जोन के आधार पर समर्पित की जानेवाली आवेदन के साथ दुकानवार निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर "हाई पोटेंसियल जोन" के लिए निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिए निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क की राशि ही निम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।

जतिम
5/12

9

क्षेत्र का नाम	हाई पोटेन्शियल तथा लो पोटेन्शियल जोन के लिए
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रु0 7000.00 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए	रु0 5000.00 (पाँच हजार)
नगर परिषद के लिए	रु0 4000.00 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए	रु0 3000.00 (तीन हजार)
ग्रन्थड मुख्यालय (जो उपयुक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रु0 3000.00 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रु0 2000.00 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती लेनेवाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निर्धारित दर पर ही जमा कराई जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हें समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीन उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों की आवेदन फीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतान होगा जिस जिला की दुकान के लिए वह आवेदन देगा।

8. बंदोबस्ती में किसी भी आवेदक के विरुद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा—

- अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो,
- वह सरकारी बकायेदार हो।
- आवेदक का ग्राम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।

(घ) अगर वह दिवालिया (इंसोल्वेंट) हो।

आवेदक की उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- उसपर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है ;
- उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है,

(iii) उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है ;

(iv) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसके विचार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक अधिधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संशोधन एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक की कारावास-अधि का सजायपता नहीं है ; और

(v) यह अन्डरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में, राज्य के जिन-जिन जिलों में पूर्व में वह लाइसेन्सी रहा है, उन जिलों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण-पत्र लाइसेन्स जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि उसके द्वारा लाइसेंसिंग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसिंग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।

9. बंदोबस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ संगी परिपूर्ण अभिलेख बंदोबस्ती के दिन को छोड़कर पाँच दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा। आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी :

(क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिए वे आवेदन देना चाहते हैं, उसके लिए अलग-अलग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा;

(ख) शपथ पत्र (बिक्री अधिसूचना के प्रावधानानुसार);

(ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आइडेंटिटी प्रूफ) से संबंधित वांछित कागजात।

10. कर्तव्यस्थ पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बंदोबस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक आवेदक या उसकी अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक निःशुल्क हॉल टिकट निर्गत करेगा।

11. दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।

12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के संबंध में दूसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती/लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ-पत्र के संबंध में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13 (क) यदि कोई दुकान/दुकानों के समूह किसी कारण से बंदोबस्त नहीं हो सके, तो समाहर्ता पुनः बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। परंतु इसके लिए पन्द्रह दिन पूर्व बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(ख) बंदोबस्ती सर्वप्रथम वैसी दुकान/दुकानों के समूहों से प्रारंभ की जायेगी जिसका न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम होगी।

14. (क) बंदोबस्ती के तुरंत बाद बंदोबस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का बारहवां भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करना होगा।

बंदोबस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क के बारहवां भाग के बराबर प्रतिभूति राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या जिले के समाहर्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पदनाम से बंधीकृत फिक्स्ड डिपोजिट (Scheduled Nationalised Bank को) या श्रातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में बंदोबस्ती के तुरंत बाद जमा करना होगा। बैंक गारंटी की आवश्यकता अवधि जून, 2016 रहेगी।

(ख) बंदोबस्तदार/अनुज्ञाधिकारी प्रत्येक माह की 11वीं तारीख को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क फीस का 12वां भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञाशुल्क फीस जमा नहीं कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से कारण सहित समय के लिए अनुरोध कर सकता है परंतु हर हाल में माह की 20वीं तारीख तक अनुज्ञाशुल्क फीस अवश्य जमा कर देगा। यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा। अन्यथा अनुज्ञाशुल्क रद्द कर दी जायेगी तथा जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समूह लॉटरी के कम संख्या दो के अन्वर्थी के साथ अथवा अन्वर्थी संख्या-2 को दुकान लेने से इंकार करने पर अन्वर्थी संख्या तीन के साथ बंदोबस्त कर दी जायेगी।

(ग) खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बंदोबस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की समूह के किसी दुकान की अनुज्ञाशुल्क की शर्तों के उल्लंघन के लिए उस दुकान की अनुज्ञाशुल्क के साथ-साथ समूह के अन्य दुकानों की अनुज्ञाशुल्क भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए विवेचित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जब्त कर ली जा सकेगी।

15. (क) जहां बंदोबस्ती पूरे वर्ष के लिए होगी वहां अनुज्ञाशुल्क फीस कुल वार्षिक अनुज्ञाशुल्क फीस का बारहवां भाग उपर्युक्त कड़िका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परंतु जहां बंदोबस्ती साल के बीच में होगी वहां समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकानें सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष के लिए बंदोबस्त की जायेगी। अगर बंदोबस्ती साल के बीच में होगी तो वैसी स्थिति में वह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञाशुल्क फीस के साथ-साथ जिस माह से अनुज्ञाशुल्क दी गयी है, उस माह की अनुज्ञाशुल्क फीस भी जमा करने के बाद बंदोबस्तदार के पक्ष में अनुज्ञाशुल्क तुरंत निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी। इसके लिए अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा परंतु प्रतिभूति राशि अनुज्ञाशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो, की कटौती कर वापस की जायेगी।

(घ) स्थल का अनुमोदन होते ही स्थल का ब्योरा अनुज्ञाशुल्क में अंकित कर दिया जायेगा।

16 (क). कंडिका 15(ग) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध कराने की पूरी जबाबदारी अनुज्ञाधारी की होगी। अनुज्ञाधारी बंदोबस्ती के बाद दस दिनों के अंदर, आपत्ति रहित प्रस्तावित दुकान परिसर के पूर्ण विवरण के साथ उसके अनुमोदन हेतु जिला के समाहर्ता को आवेदन देगा। समाहर्ता द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय आवेदन प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर समाहर्ता द्वारा कर दिया जायेगा, अन्यथा अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद तथा समाहर्ता संयुक्त रूप से राजस्व क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।

बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति स्थल के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जाने वाले अपने आवेदन पत्र के साथ अनुज्ञप्ति स्थल के प्रवेश-द्वार एवं अंदर से भाग तथा उसके चौहद्दी में स्थित भूमि-भवन/खोली स्थानों का Still Photograph, जिसमें मात्र उनकी भी उपस्थिति रहेगी, तीन प्रतियों में अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करेंगे।

(ख). बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से दो माह के अंदर अपने स्थायी लेखा संख्या (PAN) के कार्ड की छायाप्रति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग). ग्रामीण क्षेत्र के कंधोजित शराब की दुकानें शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की सीमा से कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी तथा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी।

17. स्थल चयन के कारण दुकान खोलने में विलंब के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होगा, तथा इसके लिए किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।

18. सरकार शराब पर देश उत्पाद कर में एवं राजस्व पर्वद लागत मूल्य में किसी भी समय परिवर्तन कर सकती है।

19. (क) विक्री अधिसूचना में अंकित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बारहवां भाग प्रत्येक माह में अनुज्ञाधारी को उठाना होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उपर किन्तु 15 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञप्ति फीस पर पूर्ण छूट होगी परन्तु निर्धारित अक्टूबर के 15 प्रतिशत से भी उपर उठाव करने पर देय प्रति-एल0पी0एल0 अनुज्ञप्ति फीस की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अधिक रूप से देय होगा। किसी माह का बचा हुआ कोटा अगले माह में उठाने पर इसे अतिरिक्त उठाव नहीं माना जायेगा परन्तु माह मार्च का बचा हुआ कोटा माह अप्रैल में उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) विदेशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति के मामले में यदि कोई बंदोबस्तदार अपनी अनुज्ञप्ति परिसर को "ऑन" विक्री में परिवर्तित करना चाहेगा तो वह उस दुकान के वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का दस प्रतिशत अधिक राशि देने की सहमति के साथ संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को आवेदन देगा। उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसे अपनी दुकान में "ऑन" विक्री की अनुमति दी जायेगी लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पाद नियम 47 के अंतर्गत स्थल आपत्ति रहित होने पर ही यह सुविधा दी जा सकती है।

(ग) "ऑन" बिक्री के लिए उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा/जगह जो "ऑफ" काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्शा का ब्लू प्रिंट तीन प्रतियों में समाहर्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा, जो समाहर्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा।

(घ) समानुपातिक मासिक स्थूलतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।

(ङ) प्रत्येक प्रकार की मदिरा के बोतल/सेसे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।

20. अनुज्ञाधारी उठाये गयी संपूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बैचन सुनिश्चित करेगा।

21. मदिरा की अनापूर्ति की दशा, दुकान खुलने में विलम्ब, युनाय के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और नहीं अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

22(क) अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञप्ति परिसर के बाहर मुख्य दरवाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनाएं स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा -

(i). दुकान का नाम एवं अनुज्ञप्ति अवधि,

(ii). अनुज्ञाधारी का नाम

(iii). दुकान के अधिकृत विक्रेता का नाम

(iv). सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य

(ख) बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्रांक 4086 दिनांक 31.12.10 में निर्धारित मानक के अनुसार 3'x2.5' साईज का साईन बोर्ड लगायेंगे तथा उस पर निर्धारित भाषा एवं रंग में ही आवश्यक सूचना लिखवायेंगे।

(ग) बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर अथवा उसके आस-पास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पेंटिंग्स/बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेंगे और नहीं किसी अन्य को इसकी अनुमति देंगे।

(घ) बंदोबस्तधारी, निगम के डीप्रो से पासबुक में प्रविष्टि कराकर ही मदिरा का निर्यमण लेंगे।

23(क) बंदोबस्तदार बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार/राजस्व पर्यद द्वारा बनाये गये हैं, या समय-समय पर बनाये जायेंगे। साथ ही, अनुज्ञाधारी सक्षम पदाधिकारी से समय-समय पर जारी किये गये या किये जाने वाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशों एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(ख) अनुज्ञप्ति परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति परिसर में अनुज्ञप्ति भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।

24. राज्य सरकार अपनी बंदोबस्ती नीति में किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

5/2/15

9

एवम् इस बिक्री अधिसूचना की शर्त अनुज्ञप्ति की शर्त भी मानी जायेगी तथा इसके उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम की धारा 42 एवं अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

26/02/15
समाहता

समाहरणालय का नाम- मन्वेपुरा
दिनांक- 26/02/15

मन्वेपुरा
26/02/15

वित्तिय वर्ष 2015 -16 के लिए मधेपुरा जिला अन्तर्गत देशी / विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब (खुदरा बिक्री)की दुकान / दुकानों के समूह (अधिकतम तीन दुकानों का) की सूची

क्रमांक / समूह संख्या	समूह में दुकान	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा					मासिक अनुज्ञाशुल्क	आवेदन शुल्क
		देशी शराब एल0पी0एल0	म0दे0श0 एल0पी0एल0	वि0श0 एल0पी0एल0	बीयर वी0एल0			
1	नगर परिषद देशी शराब दुकान मधेपुरा सं0-01	2822.00	339.00				284490.00	4000.00
	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान सिहेश्वर सं0-1			1272.00	1582.00		206620.00	3000.00
	कमपोजिट शराब दुकान सं0-10 (कमरगामा, दुलार-पिपराही,रूपौली)	922.00	101.00	569.00	320.00		180620.00	2000.00
	योग	3744.00	440.00	1841.00	1902.00		671730.00	9000.00
2	नगर परिषद देशी शराब दुकान मधेपुरा सं0-02	2822.00	339.00				284490.00	4000.00
	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान सिहेश्वर सं0-2			1272.00	1582.00		206620.00	3000.00
	कमपोजिट शराब दुकान सं0-11 (भवानीपुर, सुखारान, जजहट- सबैला)	922.00	101.00	569.00	320.00		180620.00	2000.00
	योग	3744.00	440.00	1841.00	1902.00		671730.00	9000.00
3	नगर परिषद देशी शराब दुकान मधेपुरा सं0-03	2822.00	339.00				284490.00	4000.00
	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान सिहेश्वर सं0-1	1708.00	201.00				171810.00	3000.00
	कमपोजिट शराब दुकान सं0-13 (बैहरी, इटरी- गहमनी)	922.00	101.00	569.00	320.00		180620.00	2000.00
	योग	5452.00	641.00	569.00	320.00		636920.00	9000.00
4	नगर परिषद देशी शराब दुकान मधेपुरा सं0-04	2822.00	339.00				284490.00	4000.00
	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान सिहेश्वर सं0-2	1708.00	201.00				171810.00	3000.00
	कमपोजिट शराब दुकान सं0-08 (सकरपुरा-बेतौना, मधेशुआ,धुँरगाँव)	922.00	101.00	569.00	320.00		180620.00	2000.00
	योग	5452.00	641.00	569.00	320.00		636920.00	9000.00
5	नगर परिषद देशी शराब दुकान मधेपुरा सं0-05	2822.00	339.00				284490.00	4000.00
	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान बिहारगंज			1436.00	1582.00		231220.00	3000.00
	कमपोजिट शराब दुकान सं0-24 (पड़रिया,राजगंज, मोहनपुर)	922.00	101.00	569.00	320.00		180620.00	2000.00
	योग	3744.00	440.00	2005.00	1902.00		696330.00	9000.00

6	नगर परिषद देशी शराब दुकान मधेपुरा सं०-०६	2822.00	339.00			284490.00	4000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-०४ (मठाही, भान टेकरी,)	922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-०५ (बराही, साहुगढ़०१, साहुगढ़०२)	922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
	योग	4666.00	541.00	1138.00	640.00	645730.00	8000.00
	नगर परिषद देशी शराब दुकान मधेपुरा सं०-०७	2822.00	339.00			284490.00	4000.00
7	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान किशुनगंज			1436.00	1582.00	231220.00	3000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-२५ (गमहैल, लक्ष्मीपुर, लालचंद, मधुकरचक्र)	922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
	योग	3744.00	440.00	2005.00	1902.00	696330.00	9000.00
	नगर परिषद देशी शराब दुकान मधेपुरा सं०-०८	2822.00	339.00			284490.00	4000.00
	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान बिहारीगंज	1818.00	201.00			181710.00	3000.00
8	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-२७ (कुसथन, बिहारीगंज, इथिआँवा)	922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
	योग	5562.00	641.00	569.00	320.00	646820.00	9000.00
	नगर परिषद देशी शराब दुकान मधेपुरा सं०-०९	2822.00	339.00			284490.00	4000.00
	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान किशुनगंज	1818.00	201.00			181710.00	3000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-२८ (मधुबन, रामपुर-खोरा, किशुनगंज)	922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
9	योग	5562.00	641.00	569.00	320.00	646820.00	9000.00
	नगर परिषद देशी शराब दुकान मधेपुरा सं०-१०	2822.00	339.00			284490.00	4000.00
	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान ग्वालपड़ा			1272.00	1582.00	206620.00	3000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-३४ (सुखासन, टेमा, भेला, शाहपुर)	922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
	योग	3744.00	440.00	1841.00	1902.00	671730.00	9000.00
10	नगर पंचायत देशी शराब दुकान मुरलीगंज सं०-१	2322.00	254.00			231840.00	3000.00
	नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान मुरलीगंज सं०-१			1307.00	1582.00	211870.00	3000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-२६ (बमनगामा, शेखपुरा, तुलसिया)	922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
	योग	3244.00	355.00	1876.00	1902.00	624330.00	8000.00

12	नगर पंचायत देशी शराब दुकान मुरलीगंज सं०-२	2322.00	254.00			231840.00	3000.00
	नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान मुरलीगंज सं०-२				1307.00	211870.00	3000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-२२ (बलुआघाट, तमील- परसा, जोरगामा) योग	922.00	101.00		569.00	180620.00	2000.00
13	नगर पंचायत देशी शराब दुकान मुरलीगंज सं०-३	3244.00	355.00		1876.00	624330.00	8000.00
	नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान मुरलीगंज सं०-३	2322.00	254.00			231840.00	3000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-२३ (रामपुर, पड्या नवटोल, रहटा) योग	922.00	101.00		569.00	180620.00	2000.00
14	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान आलमनगर	3244.00	355.00		1876.00	624330.00	8000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-३७ (नरथुआ- भागीपुर, बड़गौंव, सिधार)	922.00	101.00		569.00	180620.00	2000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-३८ (आलमनगर उ०, आलमनगर द० आलमनगर पू०) योग	922.00	101.00		569.00	180620.00	2000.00
15	देशी शराब दुकान भराही (मधेपुरा)	3662.00	403.00		1138.00	542950.00	7000.00
		1200.00	143.00			120870.00	3000.00
	योग	1200.00	143.00		0.00	120870.00	3000.00
16	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान चौसा	1818.00	201.00			181710.00	3000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-४१ (रसलपुर- धुरिया, चौपाई पैना)	922.00	101.00		569.00	180620.00	2000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-४४ (चौसा पू०, अरजपुर पश्चिमी) योग	922.00	101.00		569.00	180620.00	2000.00
17	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान गम्हरिया	3662.00	403.00		1138.00	542950.00	7000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-१४ (बाबू बगनी, औराई- एकपरहा)	1708.00	201.00			171810.00	3000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-१५ (भिलवा, कौड़ीहार- तरावे) योग	812.00	92.00		489.00	157910.00	2000.00
		3442.00	394.00		1058.00	510340.00	7000.00

18	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान घौलाढ	1708.00	201.00				171810.00	3000.00
	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान घौलाढ			1057.00	1090.00		169450.00	3000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-०२ (बरदाहा, झिटकिया, घौलाढ)	814.00	101.00	512.00	320.00		162350.00	2000.00
19	योग							
	देशी शराब दुकान जीतापुर (भतखोड़ा)	2522.00	302.00	1569.00	1410.00		503610.00	8000.00
	विदेशी शराब दुकान जीतापुर (भतखोड़ा)	1310.00	143.00				130770.00	3000.00
	नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान मुरलीगंज सं०-४			1272.00	1090.00		201700.00	3000.00
	योग	1310.00	143.00	2579.00	2672.00		544340.00	9000.00
20	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान कुभारखण्ड	1708.00	201.00				171810.00	3000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-४९ (रामनगर, बैसाढ, लक्ष्मीपुर- चंडीस्थान)	922.00	101.00	569.00	320.00		180620.00	2000.00
	योग	2630.00	302.00	569.00	320.00		352430.00	5000.00
	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान ग्वालपाडा	1708.00	201.00				171810.00	3000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-३३ (रेशना, झिटकिया- कलोताडा, बिरगौव-चतरा)	922.00	101.00	569.00	320.00		180620.00	2000.00
22	योग	2630.00	302.00	569.00	320.00		352430.00	5000.00
	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान पुरैनी	1200.00	143.00				120870.00	3000.00
	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान पुरैनी			1272.00	1582.00		206620.00	3000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं०-३१ (रुहटा- फनफन, जोतैली मंडौरा)	922.00	101.00	569.00	320.00		180620.00	2000.00
	योग	2122.00	244.00	1841.00	1902.00		508110.00	8000.00
23	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान शंकरपुर	1200.00	143.00				120870.00	3000.00
	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान शंकरपुर			1161.00	1090.00		185050.00	3000.00
	योग	1200.00	143.00	1161.00	1090.00		305920.00	6000.00
24	नगर परिषद विदेशी शराब दुकान मधेपुरा सं०-०१			1705.00	2690.00		282650.00	4000.00
	योग			1705.00	2690.00		282650.00	4000.00
25	नगर परिषद विदेशी शराब दुकान मधेपुरा सं०-०२			1705.00	2690.00		282650.00	4000.00
	योग			1705.00	2690.00		282650.00	4000.00

२

[illegible]

37	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान गम्हरिया कम्पोजिट शराब दुकान सं0-16 (धिकनी, जीवछपुर) योग				922.00	101.00	1161.00	1291.00	187060.00	3000.00
38	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान कुमारखण्ड कम्पोजिट शराब दुकान सं0-50 (लक्ष्मीपुर- भगवती, मंगरवाड़ा परमानन्दपुर) कम्पोजिट शराब दुकान सं0-51 (बिसनपुर- बाजार, बिसनपुर- सुंदर) योग				922.00	101.00	1730.00	1611.00	367680.00	2000.00
							1272.00	1582.00	206620.00	3000.00
					812.00	92.00	489.00	320.00	157910.00	2000.00
39	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-01 (श्रीनगर, धिती, मतरवा परमानपुर) योग				922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
					1734.00	193.00	2330.00	2222.00	545150.00	7000.00
					704.00	92.00	429.00	320.00	139190.00	2000.00
40	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-03 (डिटा जीवछपुर, अरहा महुआ- विघड़ा, रतनपुर) योग				704.00	92.00	429.00	320.00	139190.00	2000.00
					922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
41	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-06 (खोपेति- तुनियाही, सुखासन, मदनपुर) योग				922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
					922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
42	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-07 (नमुवन, माणिकपुर, तुलसीबाड़ी- राजपुर- मलिया) कम्पोजिट शराब दुकान सं0-09 (भदौल- दुधमा, मुरहो, मेलवा) योग				922.00	101.00	458.00	320.00	163970.00	2000.00
					922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
43	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-12 (लालपुर- सेरोपट्टी, पटौरी) योग				1844.00	202.00	1027.00	640.00	344590.00	4000.00
					922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
44	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-17 (नौरा कवियाही, मौरा इरकाहा, परसा) योग				922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
					812.00	92.00	489.00	320.00	157910.00	2000.00
					812.00	92.00	489.00	320.00	157910.00	2000.00

२

45	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-18 (रामपुरा- लाही, गिददा, बेहरारी) योग	812.00	92.00	489.00	320.00	157910.00	2000.00
46	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-19 (सोनवर्षा, जिरया, मधौली, रायभीर) योग	812.00	92.00	489.00	320.00	157910.00	2000.00
47	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-20 (खुनाथपुर, कोलाहायपट्टी लुमरिया, रजनी) योग	812.00	92.00	489.00	320.00	157910.00	2000.00
48	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-21 (चामगढ़ चौक, नाडी पोखराम, परमानपुर, जीतापुर) योग	922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
49	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-29 (लक्ष्मी, लक्ष्मीपुर, बिड़ी रणपाल) योग	922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
50	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-30 (बरीही- आनन्दपुरा, पिपरा- करौती गोपालपुर) योग	812.00	92.00	489.00	320.00	157910.00	2000.00
51	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-35 (धीरनगर, बिशवाड़ी) योग	812.00	92.00	489.00	320.00	157910.00	2000.00
52	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-36 (बिसपट्टी, बसनवाड़ा, खुरहान) योग	1033.00	102.00	678.00	320.00	207050.00	2000.00
53	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-42 (चिरी, फुलीत प0, पू0 कुजौरी) योग	922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-46 (मकरमपुर, दुर्गापुर, बंसगोपाल) योग	812.00	92.00	489.00	320.00	157910.00	2000.00
		1734.00	193.00	1058.00	640.00	338530.00	4000.00

54	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-47 (नरदह, गणेशपुर, पुरैनी) योग	922.00	101.00	569.00	320.00	180620.00	2000.00
55	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-48 (इसराईनकला, 50 बेला, 50 खुर्दी) योग	812.00	92.00	489.00	320.00	157910.00	2000.00
56	कम्पोजिट शराब दुकान सं0-52 (बिसनपुर- कोरलाही, टेंगराहा -सिकीयाहा, टेंगराहा- परिहारी) योग	812.33	92.00	489.42	320.28	158006.00	2000.00
	सम्पूर्ण योग	104245.33	11888.00	68783.42	69757.28	21467086.00	

नोट :- (1) ग्रामीण क्षेत्र के कम्पोजिट शराब की दुकानें शहरी क्षेत्र (नगर परिषद, नगर पंचायत) की सीमा से कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर खोली जायेगी तथा प्रखण्ड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जायेगी ।

(2) प्रखण्ड मुख्यालय सिंहराज विदेशी शराब दुकान हाथी गेट से पचास मीटर की दूरी पर खोली जायेगी

दिनांक 21/11/25
समाहर्ता
मधेपुरा

ज्ञापक ...187.../ मधेपुरा, दिनांक ...26.12.15...

प्रतिलिपि :- आयुक्त उत्पाद के सचिव, बिहार पटना /हेल्प डेस्क, पटना /संयुक्त आयुक्त उत्पाद बिहार, पटना /सभी उपायुक्त उत्पाद बिहार राज्य /उपायुक्त उत्पाद आ० एवं० भ० बिहार पटना / उपायुक्त उत्पाद, दरभंगा-सह-कोशी-सह-पूर्वियों प्रमंडल /निदेशक, बिहार स्टेट बिजनेस कॉर्पोरेशन बिहार पटना /आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल, सहरसा /प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा, मधेपुरा /पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /अपर समाहर्ता, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /उपायुक्त, वाणिज्य-कर, मधेपुरा /प्रबंधक बिजनेस कॉर्पोरेशन, मधेपुरा /सभी सहायक आयुक्त उत्पाद, बिहार राज्य /सभी अधीक्षक, उत्पाद, बिहार राज्य /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा एवं नगर पंचायत मुरलीगंज /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा /निरीक्षक उत्पाद, मधेपुरा /अवर निरीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि बंदोवस्ती का व्यापक प्रचार-प्रसार अपने स्तर से सुनिश्चित करायें।

इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवश्यक कागजात सहित अपना आवेदन अधिसूचना निर्गत की तिथि से दिनांक 08-03-2015 तक कार्यालय अवधि में अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ क्षेत्र विशेष के अनुसार आवेदन शुल्क देय होगा।

26/12/15
समाहर्ता,
मधेपुरा।